(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 576–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–12–12 पारित द्वारा तहसीलदार, टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 99/अ–12/2010–11.

1– श्रीराम यादव पुत्र साधुराम
2– शीतल प्रसाद पुत्र नाथूराम यादव
3– वालाराम यादव पुत्र विन्द्रावन
4– भैयालाल अहिरवार पुत्र गुन्दे अहिरवार
5– फूलचन्द्र वंशकार पुत्र धुरका वंशकार
6– रामसहाय यादव पुत्र दशरथ यादव
7– द्वारका प्रसाद पुत्र रंजीत यादव
8– पूरन लाल पुत्र दशरथ यादव
9– चन्द्रभान रैकवार पुत्र गोरेलाल रैकवार
ग्राम शिवपुरी जमदार
तहसील व जिला टीकमगढ़ ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती जयकुँवर ठाकुर पत्नी तेजसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम शिवपुरी तहसील
व जिला टीकमगढ़ ---- अनावेदक

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. वाजपेई ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एस. सेंगर ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 4–1–2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक

9/अ-12/2010-11में पारित आदेश दिनांक 24-12-12 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकरण हैं कि अनावेदिका द्वारा ग्राम मधुवन स्थित भूमि सर्वे नं. 1082/1/1 रकबा 12.140 हैक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया गया । इसके उपरांत उसके द्वारा 9.000 हैक्टर भूमि के सीमांकन का अनुरोध किया गया । जिस पर से तहसीलदार ने सीमांकन दल गठित कर प्रतिवेदन पेश किए जाने हेतु आदेश दिए गए । इस पर से पटवारी ने सीमांकन कर अपना प्रतिवेदन सम्पूर्ण रकबा 12.140 हैक्टर का सीमांकन किए जाने के संबंध में पेश किया गया जिसकी पुष्टि आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने की है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी आवेदन में उल्लिखित किये गये हैं ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में जो सीमांकन कार्यवाही हुई वह विधिवत है जिसकी पुष्टि करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदिका द्वारा 12.140 हैक्टर भूमि का सीमांकन चाहा गया था जिस पर आपत्ति आने के पश्चात तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक का सीमांकन प्रस्ताव अमान्य किया । इसके उपरांत अनावेदिका द्वारा

9 हैक्टर भूमि के लिए आवेदन देकर सीमांकन का निवेदन किया गया परंतु नक्शे में कोई तरमीम न होने के कारण सम्पूर्ण रकबा 12.140 हैक्टर का सीमांकन कर दिया गया जो अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण है क्योंकि जब एक बार आवेदकों की आपत्ति पर सीमांकन अस्वीकार कर दिया गया था तब पुनः सीमांकन के पूव्र नक्शें में तरमीम की जाना आवश्यक थी तथा उसके उपरांत ही सीमांकन किया जाना चाहिए था जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन प्रतिवेदन आने के उपरांत पक्षकारों को सुनवाई का और अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया जो कि इस प्रकरण में आवश्यक था । आसपास के कृषकों को भी सीमांकन की सूचना दिया जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश पुष्टि योग्य नहीं है । परिणामतः तहसीलदार का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाकर उपरोक्तानुसार पुनः विधिवत सीमांकन नक्शे में तरमीम उपरांत करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर